

न्यायालय उपजिलाधिकारी बेल्थरा रोड (बलिया)

वाद सं० 87 /2019

अंधारा 80 उ०प्र०रा० संहिता 2006

मौजा- बरोली तहसील बेल्थरा रोड

जिला- बलिया

चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन

बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

प्रख्यापन

तहसीलदार बेल्थरा रोड की आख्या दिनांक 04.04.2019 से सन्तुष्ट होकर मौजा बरोली की निम्नांकित भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है। वर्तमान में निम्नांकित भूमि कृषि, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन भी है, के उपयोग में नहीं आ रही है।


नाम ग्राम /तहसील /जनपद	नाम भूमिधर मय वल्लियत व सकुनत	गाटा सं०/ क्षेत्रफल	भू०राजस्व
मौजा बरोली तहसील बेल्थरा रोड जिला बलिया	चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन द्वारा अध्यक्ष श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबास सिंह यादव स्थानीय मौजा मौहल्ला इमलिया पोस्ट मऊनाथ भंजन तहसील सदर, जनपद मऊ	गाटा सं० 982 रकबा 1.771 है०	40रू० 15 पैसे


उपजिलाधिकारी
बेल्थरा रोड (बलिया)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपनिबन्धक, बेल्थरा रोड जनपद बलिया को दो प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति प्रष्ठाकन उपरान्त इस न्यायालय को वापिस भेजी जावे।
2. तहसीलदार बेल्थरा रोड बलिया को दो प्रतियों में अमल दरिमद हेतु।


Date: 13/5/19


उपजिलाधिकारी
बेल्थरा रोड (बलिया)